

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

2

प्रकरण संख्या: 3/2026 (गुण्डा एक्ट)  
जी.सी.एम.एस. नं. - 2026/467

उनवान

राज्य सरकार जर्मे थानाधिकारी पुलिस स्टेशन मण्डाना जिला कोटा  
ग्रामीण (राज0)

बनाम

लालचन्द पुत्र शिवदान जाति चारण उम्र 42 वर्ष निवासी मांदलिया थाना  
मण्डाना, जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)

राजस्थान गुण्डा

नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 26/2/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन मण्डाना जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्मे पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल लालचन्द पुत्र शिवदान जाति चारण उम्र 42 वर्ष निवासी मांदलिया थाना मण्डाना, जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	150/8.09.24	13 आरपीजीओ	130/9.10.24	100 रु जुर्माना 16.10.24
2.	160/9.10.2024	13 आरपीजीओ	137/24.10.24	100 रु जुर्माना 5.11.24

अतः गैरसायल लालचन्द पुत्र शिवदान जाति चारण उम्र 42 वर्ष निवासी मांदलिया थाना मण्डाना, जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

गैरसायल लालचन्द पुत्र शिवदान जाति चारण उम्र 42 वर्ष निवासी मांदलिया थाना मण्डाना, जिला कोटा जिला कोटा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई।

उक्त गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। बाद तामील नोटिस प्राप्त हुआ गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त संबध मे कोई सुनवाई नही चाहता है। अतः थानाधिकारी मण्डाना द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अति. जिला कलक्टर  
कोटा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रकरण इस्तगासा में वर्णित अभियोग उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार किया है। इस्तगासा में वर्णित उक्त 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित 0 की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार लालचन्द पुत्र शिवदान जाति चारण उम्र 42 वर्ष निवासी मांदलिया थाना मण्डाना, जिला कोटा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 दिन के लिए थाना मण्डाना जिला कोटा की सीमा से जिला बून्दी के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, थाना तालेडा जिला बून्दी को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी थाना तालेडा जिला बून्दी गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 15 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 23/3/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल लालचन्द पुत्र शिवदान जाति चारण उम्र 42 वर्ष निवासी मांदलिया थाना मण्डाना, जिला कोटा को दिनांक 23/3/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना मण्डाना जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना तालेडा जिला बून्दी की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, तालेडा जिला बून्दी उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी मण्डाना जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र मण्डाना जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा, जिला कोटा  
आ.क. लाल कालकर  
कोटा

